बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग।

संoसंo–9/स्थाo–01–11/2010

आदेश

विषयः– बिहार पुनर्गठन अधिनियम–2000 के क्रम में उत्तरवर्ती बिहार सरकार के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता (असैनिक) सम्वर्ग की अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम–2000 के तहत संयुक्त बिहार से झारखण्ड राज्य के विभाजन के उपरांत विभागीय आदेश सं0–215 –सह–पठित ज्ञापांक–7703 दिनांक 14.11.2002 के द्वारा दोनों राज्यों में औपबंधिक आवंटन के कारण कार्यरत कनीय अभियंता संवर्ग के सभी कर्मियों की समेकित कोटिक्रम के अनुरूप वर्ष 2002 में अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की गई।

राज्य विभाजन के अंतर्गत वर्ष 2004 में अंतिम कैडर आवंटन के फलस्वरूप एवं पारस्परिक स्थानांतरण/एकल स्थानांतरण इत्यादि प्रावधानों के तहत अंतिम रूप से उत्तरवर्ती बिहार को सेवा आवंटित कनीय अभियंता सम्वर्ग (असैनिक) के कर्मियों की वरीयता के निर्धारण की आवश्यकता हुई, जिसके आलोक में विभागीय आदेश सं0–65 –सह– पठित ज्ञापांक–7259 दिनांक 07.12.2011 द्वारा औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया। इस औपबंधिक वरीयता के विरूद्ध संबंधितों से आपत्ति/दावा प्राप्त की गई। प्राप्त आपत्तियों/दावों को सुसंगत नियमों/प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर युक्तियुक्त निराकरण करते हुए अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की जा रही है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

(i) इस वरीयता सूची का मुख्य आधार वर्ष 2002 में प्रकाशित अंतिम वरीयता सूची है। इसमें बिहार पुनर्गठन अधिनियम–2000 के तहत अंतिम रूप से बिहार राज्य आवंटित कनीय अभियंता सम्वर्ग (असैनिक) के कर्मियों का कोटिक्रम वर्ष 2002 में अंतिम वरीयता सूची के अनुरूप रखा गया है। इस सूची में अंतिम रूप से झारखण्ड राज्य आवंटित कर्मियों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ii) कैडर विभाजन के फलस्वरूप पारस्परिक स्थानांतरण के तहत उत्तरवर्ती बिहार राज्य सेवा आवंटित कर्मियों को इस वरीयता सूची में सम्मिलित करते हुए गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0–13780 दिनांक 19.09.2011 के आलोक में औपबंधिक रूप से वर्ष 2002 के कोटि के अनुरूप वरीयता सूची में स्थान प्रदान किया गया है। अंतर्राज्यीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में बिहार सरकार द्वारा दायर कि गई एल0पी0ए0 सं0–511/2009 एवं पुनर्विचार याचिका सं0–112/2009 में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से इन कर्मियों की वरीयता का कोटिक्रम प्रभावित होगा। पारस्परिक स्थानांतरण के तहत झारखण्ड राज्य आवंटित कनीय अभियंता सम्वर्ग (असैनिक) के कर्मियों को इस वरीयता सूची में सूची के सम्मिलित नहीं किया गया है।

(iii) कनीय अभियंता सम्वर्ग (असैनिक) के ऐसे कर्मी, जो वर्ष 2002 की वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं थे किन्तु बाद में विभिन्न विभागीय आदेशों द्वारा इन्हें वर्ष 2002 की वरीयता सूची में .... "क", "ख", "ग" इत्यादि के रूप में यथास्थान अंतःस्थापित किया गया था, उन्हें इस वरीयता सूची में यथा कोटिक्रम के अनुरूप रखा गया है।

(iv) सर्वेयर/उप–अधिदर्शक/ प्रारूपकार इत्यादि से प्रोन्नत, कनीय अभियंता सम्वर्ग के जिन कर्मियों को वर्ष 2002 की अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था किन्तु बाद में विभागीय आदेश सं0–35–सह– पठित ज्ञापांक–1516 दिनांक 30.03.2007 द्वारा उक्त वरीयता सूची में अर्न्तस्थापित किया गया, उन्हें इस वरीयता सूची में यथा कोटिक्रम के अनुरूप रखा गया है।

(v) नेपाली मूल/औपबंधिक/स्थानापन्न (कार्य करने की अनुमति) सशर्त्त नियुक्त वैसे कनीय अभियंता (असैनिक) जिनकी सेवा संपुष्ट हो चुकी है, उन्हें इस वरीयता सूची में यथास्थान वरीयता प्रदान किया गया है।

(vi) कुछ ऐसे कनीय अभियंता (असैनिक) जो वर्ष 2002 की अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं थे, उन्हें ठोस प्रमाणक/वरीयता के निरूपित सिद्धांतों के आधार पर इस वरीयता सूची में यथास्थान वरीयता प्रदान की गई है।

(vii) कुछ कनीय अभियंताओं (असैनिक) के द्वारा किये दावों की समीक्षोपरान्त वर्ष 2002 में प्राप्त उनकी वरीयता के स्थान में संशोधन आवश्यक पाया गया। तदनुसार यथा संशोधन के अनुरूप इस वरीयता सूची में यथास्थान प्रदान किया गया।

(viii) कुछ कनीय अभियंताओं (असैनिक) के नाम, गृह–जिला, जन्म तिथि, योगदान की तिथि, आरक्षण कोटि इत्यादि में प्राप्त अभ्यावेदन/किये गये दावों /साक्ष्य के आलोक में इस वरीयता सूची में यथा संशोधन किया गया है।

(ix) विज्ञापन सं0–1006/2006 के तहत वर्ष 2007 में नियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित मेघा क्रम के अनुरूप इस वरीयता सूची यथास्थान वरीयता प्रदान किया गया है।

(x) विज्ञापन सं0–1406/2006 के तहत वर्ष 2007 में नियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) की नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाने के कारण उक्त विज्ञापन के तहत पूर्व से नियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को इस वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(xi) वर्ष 1979 में कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर यॉंत्रिक डिप्लोमाधारी कनीय अभियंताओं को वर्ष 2002 की अंतिम वरीयता सूची में प्राप्त कोटिक्रम के अनुरूप इस वरीयता सूची में शामिल किया गया है।

(II) कनीय अभियंताओं (असैनिक) का आई0डी0कोड संख्या वही रखा गया है जो वर्ष 2002 में प्राप्त था। कुछ कनीय अभियंताओं का आई0डी0कोड संख्या वर्ष 2002 की अंतिम वरीयता सूची में जे0 .... ए0,बी0,सी0 अथवा .... 1,2,3 के रूप में अंकित था उनका आई0डी0कोड संख्या इस वरीयता सूची में विभागीय आदेश सं0–11 –सह–पठित ज्ञापांक–75 दिनांक 30.01.2008 के अनुरूप अंकित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ कनीय अभियंताओं (असैनिक) जिन्हें नये सिरे से इस वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है, को अंतिम आवंटित आई0डी0कोड के बाद आई0डी0कोड प्रदान किया गया है।

(III) यदि भविष्य में इस वरीयता सूची में कोई त्रुटि पायी जाती है तो इस पर समुचित निर्णय लेने का अधिकार विभाग को होगा।

(IV) इसे कनीय अभियंता सम्वर्ग (असैनिक) की अंतिम वरीयता सूची वर्ष 2013 के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

(V) अंतिम वरीयता सूची को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जाए।

अनु0– अंतिम वरीयता सूची वर्ष 2013

ह0/–
(धीरेन्द्र कुमार)
अभियंता प्रमुख (मध्य)
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–   /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सांस्थिक वित्त निगम, बिहार, पटना/संयोजक, नलकूप प्रभाग (लघु जल संसाधन विभाग) बिहार, पटना/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना/बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/क्षेत्रीय विकास आयुक्त, काडा/गाडा/स्काडा, पटना/निदेशक भू–अर्जन एवं पुनर्वास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से भी संबंधित कनीय अभियंताओं को सूचित करने की कृपा की जाए।

ह0/–
(धीरेन्द्र कुमार)
अभियंता प्रमुख (मध्य)
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 6583   /पटना, दिनांक– 23.12.13

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/कम्प्युटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी एम0आई0एस0 कोषांग, जल संसाधन विभाग /मुख्यालय स्थित सभी प्रशाखा पदाधिकारी/बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.12.13
(धीरेन्द्र कुमार)
अभियंता प्रमुख (मध्य)
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।